

FP/UP/Rail/9726/2020

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी

अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल

टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

cf, अलग 12 की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है ।

दिनांक- 30/7/21

स्थान-

हस्ताक्षर Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Norfol
Forest Conservation Act. 1980
नाम- U.P. Lucknow

सरकारी मोहर

Anupam Gupta